महत्वपूर्ण

संख्या–16 लो0शि0/37–1–2018–5(23)/2018

प्रेषक,

डॉ0 सुधीर एम बोबडे
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 06 जून 2018

विषयः–प्रदेश में स्थापित जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जनसुविधा केन्द्रों/ई–सुविधा केन्द्रों के माध्यम से ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना के द्वारा पशुपालन विभाग की जनहित गारण्टी से संबंधित एक सेवा "प्रदेश में गोशालाओं का पंजीकरण" को आम जनमानस तक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि जनमानस को किफायती पारदर्शी एवं सहज–सुलभ रीति से सेवायें उपलब्ध कराना उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता है। लोक सेवा प्रबन्धन अनुभाग की अधिसूचना संख्या–298/91–2017–194–2017 दिनांक 30.06.2017 द्वारा जनहित गारण्टी अधिनियम 2011 के अधीन पशुपालन विभाग की एक सेवा **"प्रदेश में गोशालाओं का पंजीकरण"** को ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में सम्मिलित किए जाने का निर्णय लिया गया है ताकि जन मानस को ई–सुविधा केन्द्रों के माध्यम से उक्त सेवा को सुगमता पूर्वक उपलब्ध कराया जा सके।

2– उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में सम्यक् विचारोपरान्त पशुपालन विभाग की निम्न सेवा को ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से जन सामान्य को उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

प्रदेश में गोशालाओं का पंजीकरण।

3– पशुपालन विभाग की चयनित सेवाओं को ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेट करने के उपरान्त जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जनसुविधा केन्द्रों/ई–सुविधा केन्द्रों पर आम नागरिकों से प्रत्येक शासकीय सेवा के प्रत्येक ट्रान्जेक्शन के लिए यूजर चार्ज आई.टी. विभाग के शासनादेशानुसार लिये जायेंगे।

4– अगर कोई नागरिक सीधे विभागीय पोर्टल पर सेवा हेतु आवेदन करता है, तो उस पर उपरोक्त यूजर चार्जेज लागू नहीं होंगे, किन्तु आवेदक द्वारा विभाग की सेवाओं को प्राप्त करने हेतु अपने निकटतम जनसेवा केन्द्र लोकवाणी केन्द्र, जनसुविधा केन्द्र तथा ई–सुविधा केन्द्र में जाकर केन्द्र आपरेटर से अनुरोध करना होगा। तदोपरान्त केन्द्र आपरेटर ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर लागिन करके सेवा प्रदान करेगा। आवेदक द्वारा प्राप्त की गयी संबंधित सेवा के लिए प्रस्तर–3 में निर्धारित यूजर चार्ज का भुगतान केन्द्र आपरेटर को किया जायेगा।

5– यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि समस्त डिलिवरी प्वाइन्ट्स यथा–जनसेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जनसुविधा केन्द्रों तथा ई–सुविधा केन्द्रों द्वारा इलेक्ट्रनिक डिलिवरी सेवाओं को प्रदान किये जाने हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाहियां यथा– इन्टीग्रेशन इत्यादि पूर्ण कर ली गयी हैं।

Scanned by CamScanner

6– आवेदक द्वारा विभाग की सेवा को प्राप्त करने हेतु अपने निकटतम जन सेवा केन्द्र, लोकवाणी केन्द्र, जन सुविधा केन्द्र तथा ई–सुविधा केन्द्र पर जा कर सुविधा प्राप्त करनी होगी। तदोपरान्त केन्द्र आपरेटर ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर लागिन करेगा तथा विभागीय पोर्टल पर उनकी सेवाओं से संबन्धित ई–फार्म एवं आवश्यक संलग्नकों को अपलोड करने के पश्चात इलेक्ट्रानिक प्रणाली के माध्यम से आवेदन पत्र संबन्धित विभागीय सक्षम अधिकारी को प्रेषित करेगा।

7– ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से आये आवेदन विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा उसी तरह प्रोसेस किया जायेगा, जिस तरह वह वर्तमान में अपने विभागीय पोर्टल पर प्रोसेस कर रहे हैं।

8– पशुपालन विभाग की चयनित सेवाओं को ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेट करने, एन.आई.सी. /एस.ई.एम.टी. की तकनीकी टीम से समन्वय स्थापित किये जाने हेतु डा0 वी0के0 सिंह, संयुक्त निदेशक, गोशाला, पशुपालन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ मोबाइल नम्बर 9838570309 ई–मेल–jdgoshala.up@nic.in को विभागीय नोडल अधिकारी नामित किया गया है। ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेशन के पश्चात सभी सम्बन्धित स्टेक होल्डर द्वारा पायलट आधार पर टेस्ट रन की कार्यवाही की जायेगी, ताकि गो–लाइव के उपरान्त सेवाओं को प्रदान करने में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।

– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाहियाँ शीर्ष–प्राथमिकता पर पूर्ण कराकर कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

31/5/18

(डा0 सुधीर एम बोबडे)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 16 लो0शि0(1)/सैंतीस–1–2018–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि समस्त डिलिवरी प्वाइन्ट्स यथा–जनसेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जनसुविधा केन्द्रों तथा ई–सुविधा केन्द्रों द्वारा इलेक्ट्रानिक डिलिवरी सेवाओं को प्रदान किये जाने हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाहियां यथा–इन्टीग्रेशन इत्यादि पूर्ण कर ली गयी हैं।
4. समस्त अपर निदेशक ग्रेड–2, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
6. अपर मुख्य सचिव, लोक सेवा प्रबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. राज्य समन्वयक, सेन्टर फार ई–गवर्नेन्स लखनऊ उत्तर प्रदेश।
8. एस0आई0ओ0 योजना भवन, लखनऊ।
9. हेड एस0ई0एम0टी0, उत्तर प्रदेश।
10. क्षेत्रीय कार्यालय, एन0आई0सी0, लखनऊ।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

Scanned by CamScanner